

प्रश्न सं. [क. 1019]

परिशिष्ट - 'अ'

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1019

द्वारा माननीय विधायक श्री बृज बिहारी पट्टेरीया

क्र०	जिला	थाना	अप० क्र०	धारा	आरोपी की गिरफ्तारी न करने के संदर्भ में टीप	आरोपी की गिरफ्तारी कब तक की जावेगी, के संबंध में टीप	आरोपियों से संपत्ति वसूली करने के संदर्भ में टीप
1-	सतना	जैतवारा	44 /25	420 भादवि	प्रकरण की विवेचना जारी है, आगामी विवेचना में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।	प्रकरण की विवेचना जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	प्रकरण की विवेचना जारी है, आगामी विवेचना में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर सम्पत्ति के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।
2-	श्यापुर	कोतवाली	225 /24	420 भादवि	प्रकरण में साक्ष्य के अभाव होने के कारण खात्मा क्र० 03/25 दिनांक 28-06-2025 तैयार किया गया है। जिसके कारण गिरफ्तारी नहीं की गई।	चूंकि प्रकरण में खात्मा तैयार किया गया है। अतः गिरफ्तारी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।	चूंकि प्रकरण में खात्मा प्रस्तावित किया गया है। अतः सम्पत्ति वसूली का प्रश्न उपस्थित नहीं है।
3-	मंदसौर	वायडीनगर	449 /23	420, 468, 471 भादवि	माननीय सप्टम अपर सत्र न्यायाधीश जिला मंदसौर म०प्र० द्वारा प्रकरण के आरोपी की अग्रिम जमानत दिनांक 29-09-2023 में दी गई है, जिस कारण से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। प्रति संलग्न है।	माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गई है।	प्रकरण की विवेचना जारी है, आगामी विवेचना में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर सम्पत्ति के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

नयुक्ता अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
श्री (प्रतिम) विभाग, बी (1),
बल्लभ, बोराह

AIG of Police
L.C.D. M.P. BHOPAL